झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–10

एकादश (बजट) सत्र
गुरूवार, दिनांकः–16 मार्च, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 05:04 अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ:–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–19

(क) उत्तरित कुल–03	अ०सू०–02,	श्री विनोद कुमार सिंह,	स0वि0स0 (02.03.2023 से स्थगित)
	अ0सू0–24,	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0
	अ0सू0–39,	श्री प्रदीप यादव	स0वि0स0
(ख) अपृष्ठ कुल–01	अ0सू0–41,	श्री सुदेश कुमार महतो	स0वि0स0
(घ) अनागत कुल–15	क्रम संख्या–168 से 182 तक।		

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–50

(क) अनागत कुल–50 क्रम संख्या–401 से 450 तक।

(विपक्षी सदस्यों के द्वारा नई नियोजन नीति के विरूद्ध वेल में लगातार शोरगुल जारी रखने के कारण 11:28 बजे पूर्वा0 में सदन की कार्यवाही 12:00 बजे मध्या0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी)

स्थगनोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने 12:00 बजे मध्या0 में आसन ग्रहण किया।

2. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:–

श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0
श्री संजीव सरदार	स0वि0स0
श्री भूषण तिर्की	स0वि0स0
श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
श्रीमती सबिता महतो	स0वि0स0

श्री समीर कुमार महान्ती	स0वि0स0
श्री केदार हजरा	स0वि0स0
श्री नारायण दास	स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
श्री निरल पूरती	स0वि0स0
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	स0वि0स0
श्री जयप्रकाश भाई पटेल	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0
श्री किशुन कुमार दास	स0वि0स0
श्री विनोद कुमार सिंह	स0वि0स0
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0
डॉ0 लम्बोदर महतो	स0वि0स0
श्री अनन्त कुमार ओझा	स0वि0स0
श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स0वि0स0
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0

3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिए गए वक्तव्य निम्नवत् हैः–

i. डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii. श्री सरयू राय, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

(सदन के अंदर व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय सदस्य डॉ0 सरफराज अहमद ने आसन से आग्रह किया कि अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के कस्टोडियन हैं और इसका संरक्षण आपके हाथ में है। Vocal Minority, silent Majority पर हावी हो रहा है, क्या ऐसे चलता है? आपके नियमन के बाद भी विपक्षी सदस्यों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसपर नियमानुकूल कार्रवाई होनी चाहिए।)

4. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मांग संख्या–36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 43,72,21,26,000/–(तैंतालीस अरब, बहत्तर करोड़, इक्कीस लाख, छब्बीस हजार) रूपये से अनधिक की मांगे सभा में प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा इस मांग से संबंधित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(प्रथम पाली की बैठक समाप्ति के तुरन्त बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आहूत किये जाने संबंधी सूचना आसन से दी गयी)

(तत्पश्चात् 12:40 बजे अप0 में सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अप0 तक के लिए स्थगित।)

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

5. वित्तीय कार्य (क्रमांक–4 से जारी)

आसन ग्रहण करने के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों के सदस्यगण थे। माननीय प्रतिपक्ष की ओर से नियोजन नीति एवं स्थानीय नीति पर माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि जिस बिन्दु पर गतिरोध है, चलते सत्र में सुविधानुसार किसी दिन माननीय मुख्यमंत्री उस पर अपना विचार रखेंगे।

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत मांग पर आसन के निदेश से माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बाउरी ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया:–

श्री मंगल कालिन्दी

श्री जयप्रकाश भाई पटेल

श्री भूषण बड़ा

(इस क्रम में माननीय सभापति श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया)

डॉ0 लम्बोदर महतो

श्री प्रदीप यादव

श्री विनोद कुमार सिंह

(इस क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री सरयू राय

श्री निरल पुरती

श्री नारायण दास

(इस क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय ने दर्शक दीर्घा में सदन की कार्रवाई देख रहे बोकारो जिला के होली क्रॉस स्कूल के छात्र–छात्राओं को विधान सभा की ओर से शुभकामना एवं बधाई दी।)

(माननीय सदस्य श्री सरयू राय ने झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–297 का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कोई माननीय मंत्री किसी दस्तावेज का सदन में हवाला देते हैं ,तो उक्त दस्तावेज सदन पटल पर रखा जाना चाहिए।)

6. सूचना

1. माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा ने सदन को सूचित किया कि राँची के सभी अखबारों में भी आज छपा है कि 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिन 3000 हिन्दू शरणार्थी परिवार को साहेबगंज के राजमहल में बसाया था, आज वे डर के साये में हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री इस पर संज्ञान लें।
2. माननीय सदस्य डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सूचना दिया कि पलामू जिला के भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता नसीम अली पदस्थापित हैं, जो मनमाने ढंग से विभाग का कार्य पहले करवाते और टेंडर बाद में करवाते हैं। ऐसे पदाधिकारी पर अविलम्ब कार्रवाई किया जाय।

3. माननीय सदस्या डॉ0 नीरा यादव ने कोडरमा जिलांतर्गत बंद पड़ी खदानों में हो रही दुर्घटना पर ध्यानाकृष्ट कराते हुए सूचना दिया कि इन खदानों को मिट्टी भराकर दुर्घटना रोकी जाय तथा इसमें जमा जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाय।
4. माननीय सदस्या श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह ने आसन से अनुरोध किया कि माननीय सचेतकगण, माननीय सभापतिगण एवं माननीय सदस्यगण के साथ कार्यरत् कर्मियों को परिवहन भत्ता एवं विधायी भत्ता दिलाया जाय।
5. माननीय सदस्या श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में सूचना दिया कि आय से अधिक सम्पत्ति मामले में निरर्हता संबंधी प्रावधानों का एकसमान मानदण्ड अपनाते हुए निर्णय नहीं लिया जाता है।
6. माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह ने सूचना दिया कि सुखाड़ एवं गर्मी को देखते हुए सभी सदस्यों की अनुशंसा पर 10–10 चापाकल लगाने की व्यवस्था हो।
7. डॉ0 इरफान अंसारी ने सूचित किया कि जामताड़ा जिलांतर्गत आरईओ में विगत् छः माह से कार्यपालक अभियंता पदस्थापित नहीं है, जिससे वहाँ का कार्य प्रभावित हो रहा है। इस दिशा में सरकार की ओर से कार्रवाई ली जाय।
8. माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश भाई पटेल ने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए आसन से आग्रह किया कि झारखण्ड के पत्रकारों को बीमा एवं एक निधि उपलब्ध कराई जाय, जिससे कि विकट परिस्थिति में उनके परिवार को मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि झारखण्ड विधान सभा के सभी पूर्व सदस्यों के लिए एक निजी सहायक एवं एक चालक की सुविधा मुहैया करायी जाय।
9. माननीय सदस्य श्री समरी लाल ने सूचना दिया कि कोकर चौक में पाईप लाईन से चार दिनों से लगातार पानी बह रहा है, जिसे जल्द–से–जल्द ठीक करायी जाय। वहां चार परिवार उस पानी से परेशान है और उनका घर अस्त–व्यस्त हो गया है।

इसके उपरांत आसन से पुकारे जाने पर सरकार की ओर से श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा उत्तर दिया गया, जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बाउरी एवं सम्पूर्ण विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

(चर्चा के क्रम में विपक्षी सदस्यों का 04:37 अप0 में सदन से बहिर्गमन)

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक–17 मार्च, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक–16 मार्च, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।